



No.A-43020/01/2014-RTI
Government of India/भारत सरकार
Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय

To be issued in Hindi
RTI MATTER/TIME BOUND

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 2014

To,

श्री.के.के.गुप्ता,
सिविल कोर्ट कचहरी
फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

Sub: Application of Shri K.K.Gupta under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 23/05/2014 addressed to Prime Minister Office, which was received in this Ministry under transfer on 12/6/2014 for supplying information in respect of the following points:

- (i) Copy of letter written by the then Hon'ble Home Minister, Shri Sushil Kumar Shinde for appointment of the wife of Home Secretary, Shri Anil Goswami as Judge of Jammu High Court
- (ii) Family background of Shri Anil Goswami, Home Secretary and his wife and employment details of their major children.

2. So far as point No. 1 is concerned, you are informed that as per information received from the O/o the Hon'ble Home Minister, no such letter has been written or issued.

3. Regarding Point No.2, it is informed that as per official records in the Ministry of Home Affairs, no such information is available in respect of Shri Anil Goswami.

4. The Appellate Authority in this case is Shri Satpal Chouhan, Joint Secretary(Admn.), North Block, New Delhi.

वी.के.राजन

(वी.के.राजन)

उप सचिव(स्थापना) एवं के.जन सूचना अधिकारी

✓ Copy to SO(IT) alongwith a copy of RTI application of Shri K.K.Gupta for uploading in MHA website.

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री के.के. गुप्ता से प्राप्त दिनांक 23.5.2014 आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 9.6.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथाचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिजवी)
उप सचिव एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

☎: 2307 4072

HS 22/6/14
12/6/14

JS/A)

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

2. सचिव, भारत सरकार

न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली

3. सचिव, भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली

विंदु संख्या 1 और 2 के संबंध में -

विंदु संख्या 3 के संबंध में

विंदु संख्या 4 के संगत अंश के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री के.के. गुप्ता

सिविल कोर्ट कचहरी

फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें। राज्य सरकार से संबंधित विंदु संख्या 4 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में उपबंध है कि किसी भी प्रकार की सूचना चाहने वाला व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। आपने अपने आवेदन-पत्र के संबंध में जो सूचना चाही है वह राज्य सरकार से संबंधित है। यदि आप चाहे तो सूचना हेतु राज्य सरकार से सम्पर्क कर सकते हैं।

HS

APS to HM

HS's Office

3061/14-10 June 14

3061/14

रिपोर्ट

श्री. प्रधानमन्त्री / जनसूचना विभाग
पी. एम. कार्यालय इंदिरा

RECEIVED OFFICE
09 JUN 2014
DAK SECTION

महोदय

निवेदन है आवेक वादित सूचनाये प्राप्त
कने हेतु आदि. पी. ओ. नं. 496750 डि. 23/5/14
को/र अधिमिया नारहा (चारा 5/14 के डाकरो-
चासुसार आवेक को वादित सूचनाये नियत परा
पर प्राप्त कने को कृपा करे।

1. मन्त्रि के मां उदयमन्त्री सुश्रील कुमार शि-वे
द्वारा अनिल गोरखामो मन्त्र सचिव की पत्नी को
जन्म दाहे को के जन वनामे हेतु लिखे पत्र को
प्रतिलिपि व प्रमाणित करे।

2. अनिल गोरखामो मन्त्र सचिव की पत्नी अनिल
गोरखामो मन्त्र सचिव की पालिका धृष्टि अभिजितमो
वालिया वरन्को वरन्चमो के रोडमार्क पर कार्यो का
विवरण।

3. मन्त्रि के उपलक्षण मन्त्र सचिव की पत्नी की जन
वरी (60 ता कुचो का वरते मान विवरण मम पडा/जीन तक
कुल-चल अचल सम्पति का पदतठना कने लेउल
तक का कार्यो।

4. मन्त्रि के मां उदयमन्त्रालय इलाहाबाद के
आवे मासुसार तथा मां प्रधानमन्त्री के आवे मा
सुसार के डीय कुजमन्त्री व राज्य कुजमन्त्री ल (कनुडु
समान रूपमे 24-घण्टे विप्लवे देने के वास्ते आवे मकी
प्रमाणित करे देने को कृपा करे।

प्रार्थना है उक्त प्राप्पय को संज्ञान में लेके वादित
सूचनाये प्राप्त कने को कृपा करे।

दि. 23/5/14

आवेक
के उपाय
निवेदन को कर
करी वावा

39 6/694

URGENT
ATTACH
Dist No. 17918
& Date. 09/06/14
Loc. 14/06/14
For 1

File No. 25F 496750
4 10/1-